राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2025/54
राजस्व वाद संख्या–26/2025
दायर दिनांक– 28.05.2025
निर्णय दिनांक–.15.10.2025

उनवानी–

1. लालाराम पुत्र काना
2. महेन्द्र पुत्र उगमाराम जाति
3. हीरालाल चौधरी पुत्र भंवरलाल
   सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम रघुनाथपुरा तह0 रूपनगढ़

––प्रार्थी

बनाम

1. नोरतमल पुत्र उगमाराम
2. बल्बाराम पुत्र धारू
3. नाबा0 इन्द्रा चौधरी पुत्री नानू जरिये सरंक्षक मनभर
4. नाबा0 चेना राम पुत्र नानू जरिये सरंक्षक मनभर
5. किशनाराम पुत्र धारू
6. गेखा पत्नि पेमा
7. गोरधन पुत्र कालू
8. छोटू पुत्र कालू
9. दयाल पुत्र पेमा
10. धन्नी पुत्री पेमा
11. नोरतमल पुत्र उगमाराम (डिलीट)
12. बल्बाराम पुत्र धारू (डिलीट)
13. बालू पुत्र भूरा
14. बिरदाराम पुत्र धारू
15. भंवरी पत्नि गणेशराम
16. मुकेश पुत्र गणेशराम
17. मदन पुत्र पेमा
18. मनभर पत्नि नानू
19. मांगीलाल पुत्र गणेशराम
20. मोती पुत्र सोनी
21. रतना पुत्र भूरा
22. राजू पुत्र नारायण
23. रामलाल उर्फ रामा पुत्र सोनी
24. रामेश्वरी पुत्र सोनी
25. लालाराम पुत्र नारायण
26. हनुमान पुत्र भूरा
27. हीरालाल पुत्र नारायण
28. कैलाश पुत्र बिरदा
29. धनराज पुत्र हनुमान
30. श्रवणलाल पुत्र बिरदा
31. सर्वेश्वर पुत्र हनुमान
32. दुर्गा पुत्र भींवा
    सर्वजाति जाट, सर्वनिवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा तह0 रूपनगढ़
33. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री दशरथ वैष्णव अधि0 प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2025.12.09 15:48:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

—ःनिर्णयः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 167 के ख0न0 432/163 क्षेत्रफल 0.2446 है0 ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का रघुनाथपुरा तहसील रूपनगढ़ में भूमि स्थित है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित सहखातेदारी की कृषि भूमि पर बदस्तुर खातेदार काश्तकार काविज चला आ रहा है तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि जिसके ख0न0 162 है जो प्रार्थी की कृषि भूमि के लगते हुए है तथा पड़ोस में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन उक्त भूमि को लेकर सीमा विवाद चलता रहता है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि में हस्तक्षेप करते रहते है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विषय बना रहता है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं से छेड़छाड़ करते रहते है तथा उनकी कृषि भूमि की सीमाओं में विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दिये गये जिसकी पालना में सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थीगण ने मौके पर नाप चौक होने के बावजूद भी सीमाओं को लांघ कर प्रार्थी की खातदेरी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप जारी रखा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप से खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड व ट्रेस में दर्ज है इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौक करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) पेश किया जिसको स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्या 11, 12 को डिलीट किये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 10 व 13 से 32 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 33 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की वाद वर्णित भूमि व इससे लगवा पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है ताकि वाद बाहुल्यता ना बढ़े। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रघुनाथपुरा के ख0न0 432/163 क्षेत्रफल 0.2446 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/— अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/— अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

रामकुमार ताडा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2025.12.09 15:48:47 IST
Reason: SelfAttested